

निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर
83 / 2022

तारीख रजू
13.07.2022

तारीख निर्णय
24/12/2025

1. गीता देवी पत्नी कन्नूलाल, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. सुनीता पत्नी जगनलाल, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. राजूलाल पुत्र नारायण, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. सरस्वती पत्नी राजूलाल, रैगर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री शिवचरण शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 1,2 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सुयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0न0 659 रकबा 1.04 है0 ग्राम सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी मे स्थित है। इस भूमि मे वादीगण प्रत्येक का 1/4-1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। भूमि ख0न0 654 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आये दिन वादीगण के हिस्से के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करते है। अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 654 रकबा 1.04 है0 ग्राम सलेमपुर का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य मीट्स एंड बाउन्ड्स से विभाजन करवाया जाकर वादीगण के प्रत्येक के 1/4-1/4 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नही किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अपने जबाबदावे मे अंकित किया है कि वादीगण का प्रत्येक का 1/4 - 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(2)

हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खातदारी के रूप मे दर्ज है एवं अपने अपने हिस्से के मुताबिक मौक पर मौखिक बंटवारा करके अपने हिस्से अनुसार खेतीबाडी करके उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर वर्तमान मे काबिज अनुसार पूर्व मौखिक बंटवारे के अनुसार बंटवारा किये जोन मे कोई आपत्ति नही है तथा प्रतिवादी को पाबंद करने को ई औचित्य नही है। भूमि ख0न0 654 कबरा 1.04 है0 ग्राम सलेमपुर का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य वादीगण प्रत्येक के 1/4-1/4 हिस्से की खातदारी राजस्व रिकॉर्ड मे अलग से दर्ज की जावे लेकिन वर्तमान मे पूर्व से काबिज अनुसार अपने अपने हिस्से अनुसार बंटवारा किये जाने मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है, शेष अस्वीकार है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2071-2074 खाता संख्या 396 ग्राम सलेमपुर प्रस्तुत की है।

जबाब दावे के समर्थन मे प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी जाकर वादी का यह दावा दिनांक 30.11.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक एलआर/25/5324 दिनांक 06.11.2025 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के अभिभाषक को सुना गया। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार भूमि का विभाजन किया जाता है।

1. गीतादेवी पत्नी कन्नूलाल हि0 1/4 जाति रैग सा.देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गंगापुर सिटी, सुनीता देवी पत्नी जगनलाल हि0 1/2 जाति रैगर सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 654/1 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

Done



उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

(3)

2. राजूलाल पुत्र नारायणहि0 1/2 जाति रैगर सा.देह खातेदार राहिन इलाहबाद बैंक शाखा गंगापुर सिटी की खातेदारी मे भूमि ख0न0 654/2 रकबा 0.52 है0 ग्राम सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी रहेगीं।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 24.12.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड ज.
गंगापुर सिटी (संभा)